<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>30.12.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने फर्जी संस्था क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर निवेश की आड़ में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़ में 9 आवासीय परिसरों में 24.12.25 को तलाशी अभियान चलाया है।

तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, 22.38 लाख रुपये के अपराध के आगम वाले 18 बैंक खातों को 4 लाख रुपये नकद की जब्ती के साथ फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा, 3 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्तियों का भी पता लगाया गया है।

हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने विकास कालरा, तरुण तनेजा, कपिल कुमार और पवन कुमार के खिलाफ जांच शुरू की।

ईडी की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने आपस में मिलीभगत कर क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने के लिए लुभाकर शहर और आसपास के कई लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की थी। आरोपियों ने क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक फर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसका मकसद भोले-भाले निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई से धोखा देना था।

जांच में पता चला कि अभियुक्तों ने बाइनेंस पर क्रिप्टो वॉलेट बनाए, जहाँ उन्होंने विभिन्न निवेशकों से पैसे प्राप्त किए। अभियुक्तों के बैंक खातों के विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न निवेशकों से निवेश उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में प्राप्त हुआ और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के बैंक खातों के माध्यम से स्तरीकृत किया गया। अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपराध से प्राप्त आगम का उपयोग अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्ति प्राप्त करने में किया गया है।

आगे की जांच जारी है।